

नियम 95क : ¹[.....]

- 1 अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा नियम 95 क विलोपित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)। विलोपन के पूर्व नियम 95 क इस प्रकार था

"A[नियम 95क : किसी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा आउटलेट को करों का प्रतिदाय

- (1) किसी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी माल की आपूर्ति करने वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय की दावा करने का पात्र होगा।
- (2) आवक आपूर्तियों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला खुदरा आउटलेट, यथास्थिति, मासिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ख में प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन करेगा।
- (3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों की स्वप्रमाणित संकलित जानकारी, संबंधित क्रय बीजक के के साथ प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय तब उपलब्ध होगा, यदि—
 - (क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राप्त की गई थी;
 - (ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए बिना विदेशी विनिमय में किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की गई थी;
 - (ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख है; और
 - (घ) ऐसे अन्य निर्बंधन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर दिया गया हो।
- (5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “बाहर जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है।”

- A पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतः स्थापित प्रभावशील दिनांक 01.07.2019)।